# प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा से उद्भूत मामले शामिल हैं। प्रतिवेदन में संदर्भित आधार बनाने, अद्यतन एवं प्रमाणीकरण सेवाओं पर सांख्यिकीय सूचनायें तथा वित्तीय सूचनाओं को यू आई डी ए आई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार मार्च 2021 तक अद्यतन किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।